संख्या:66/2020/1832जेएल/22-3-2020-100(43)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर 2020*

विषय: जिला कारागार गाजियाबाद में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-22462/सामा-1(4)/5/बंदी स्था0(जि0का0 गाजियाबाद)/ 2020, दिनांक 14-09-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार गाजियाबाद में निरूद्ध निम्नलिखित 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाता है ।
1	2	3	4
1	अरविन्द उर्फ भोलू पुत्र श्री राजेन्द्र	जिला कारागार गाजियाबाद	केन्द्रीय कारागार वाराणसी
2	आशू उर्फ प्रवीन उर्फ धमेन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र	जिला कारागार गाजियाबाद	केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज
3	दीपक पुत्र श्री राजेन्द्र	जिला कारागार गाजियाबाद	जिला कारागार सोनभद्र

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:66/2020/1832जेएल(1)/22-3-2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. पुलिस आयुक्त लखनऊ/ गौतमबुद्ध नगर ।
4. जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद/वाराणसी/प्रयागराज/सोनभद्र ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद/वाराणसी/प्रयागराज/सोनभद्र ।
6. अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार गाजियाबाद से संबंधित कारागारों में स्थानांतरित/दाखिल किए जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7. वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, वाराणसी/नैनी प्रयागराज एवं अधीक्षक, जिला कारागार, सोनभद्र ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in